

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 293
दिनांक 12.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

भूजल का पीने योग्य होने संबंधी परीक्षण

*293. श्री अजेन्द्र सिंह लोधी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और महोबा जिलों में भूजल का पीने योग्य होना सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर नियमित परीक्षण किया जा रहा है;
- (ख) यदि हां, तो हाल ही में किए गए परीक्षणों सहित इसके प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने उक्त जिलों में भूजल में पाए जाने वाले फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट आदि जैसी अशुद्धियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कोई विशिष्ट उपाय किए हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी आर पाटिल)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"भूजल का पीने योग्य होने संबंधी परीक्षण" के संबंध में श्री अजेन्द्र सिंह लोधी द्वारा पूछे गए दिनांक 12.03.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 293 के उत्तर के में सदभित विवरण

(क) से (घ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए जल जीवन मिशन अगस्त, 2019 से कार्यान्वित किया जा रहा है। जेजेएम के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है। कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल गुणवत्ता निगरानी और पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए जेजेएम के तहत निधियों के अपने वार्षिक आवंटन का 2% तक उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढीकरण, उपकरणों, उपस्करणों, रसायनों, कांच के बने सामान, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी, जल गुणवत्ता के संबंध में जागरूकता प्रसार, शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल हैं।

राज्य जल और स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि भूजल की पेयता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के हमीरपुर और महोबा जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला प्रयोगशालाओं द्वारा नियमित परीक्षण किया जा रहा है। भूजल स्रोत के लिए परीक्षण की आवृत्ति छमाही है और प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए भूजल के परीक्षण का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	जिला	भूजल स्रोतों की कुल संख्या	पहली छमाही में परीक्षण (अप्रैल, 2025 - सितंबर, 2025)	दूसरी छमाही में परीक्षण (अक्टूबर, 2025- मार्च, 2026)
1	हमीरपुर	154	157	135
2	महोबा	99	97	78

राज्य ने यह भी सूचित किया है कि प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण के बाद इन दोनों जिलों के सभी भूजल आधारित स्रोत फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट आदि जैसी अशुद्धियों से सुरक्षित पाए गए हैं। प्रयोगशालाओं में किए गए परीक्षण के अलावा, ग्रामीण स्तर पर एफटीके का उपयोग

करके एफटीके प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा एफएचटीसी, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) आदि के स्तर पर भी परीक्षण किया जा रहा है।

इसके अलावा, राज्य ने सूचित किया है कि फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट आदि जैसी अशुद्धियों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए सभी भूजल आधारित पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों में गहरे नलकूपों/बोरवेलों का निर्माण किया गया है। राज्य ने यह भी उल्लेख किया है कि महोबा और हमीरपुर जिलों के लगभग सभी गांव सतही जल आधारित जल आपूर्ति योजनाओं के तहत शामिल किए गए हैं और संवितरण से पहले विनिर्दिष्ट जल शोधन संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) के माध्यम से जल का समुचित शोधन किया जा रहा है।
